<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 02/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/पीएनजीआरबी/2023-24

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 02/2025-26

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की दिनांक : 16.05.2025

विषय: प्रमुख हवाई अड्डों पर निर्बाध प्रवेश आधार पर साझा ईंधन भंडारण सुविधा स्थापित करने के संबंध में

<u>पृष्ठभूमि</u>:

1 भारत में तेल और गैस क्षेत्र के विनियामक, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनआरजीबी) ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए सामान्य वाहक विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पाइपलाइनें डालने का प्रस्ताव दिया है। योजना के अनुसार, पीएनजीआरबी सामान्य वाहक एटीएफ पाइपलाइन डालेगा, जो हवाई अड्डा परिसर के भीतर साझा एटीएफ ईंधन भंडारण सुविधा वाले ऊपरी (अपस्ट्रीम) एटीएफ आपूर्ति बिंदुओं को जोड़ेगी।

2 सामान्य वाहक एटीएफ पाइपलाइनें डालना एटीएफ परिवहन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने, परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि करने तथा देश में एटीएफ रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करने के लिए एक हरित पहल है।

पीएनजीआरबी का प्रस्ताव :

3 इस संदर्भ में, पीएनजीआरबी ने अपने दिनांक 13.02.2025 के पत्र संख्या डी.ओ. सं. पीएनजीआरबी/ऑथो./3-पीपीपीएल (16)/2024 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) से प्रमुख हवाई अड्डों पर 'निर्बाध प्रवेश आधार' (ओपन एक्सेस बेसिस) पर साझा ईंधन भंडारण टैंक स्थापित करने के लिए विनियामक उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया, ताकि भारत भर के विभिन्न ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा नियोजित सामान्य वाहक एटीएफ पाइपलाइनों के साथ हवाईअड्डे की एटीएफ भंडारण सुविधाओं का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

ऐरा द्वारा की गई जांच :

4 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) पीएनजीआरबी द्वारा देश के विभिन्न हवाई अड्डों को जोड़ने वाले सामान्य वाहक (कॉमन कैरियर) एटीएफ पाइपलाइन का नेटवर्क विकसित करने के लिए की गई हरित पहल का पूर्ण समर्थन करता है। ईंधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा साझा करने के लिए सामान्य वाहक (कॉमन कैरियर) एटीएफ पाइपलाइन विकसित करने की पीएनजीआरबी की योजना न केवल पर्यावरण अनुकूल पहल है, बल्कि भारत के विभिन्न हवाईअड्डों को एटीएफ की निरंतर, विश्वसनीय और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम भी है। इसके परिणामस्वरूप एटीएफ की आपूर्ति की समग्र रसद लागत (लॉजिस्टिक्स) में भी कमी आएगी।

5 इस पहल से नागर विमानन क्षेत्र के समग्र विकास और दक्षता में सहयोग मिलने और वैश्विक बाजार में भारत के नागर विमानन की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की आशा है। सामान्य वाहक पाइपलाइनों के माध्यम से एटीएफ की आपूर्ति देश में वैकल्पिक एटीएफ परिवहन प्रणाली स्थापित करने, सुरक्षा, विश्वसनीयता बढ़ाने और एटीएफ परिवहन के उन महंगे पारंपरिक साधनों की तुलना में एटीएफ आपूर्ति की रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करने में मदद करेगी जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं और जिनमें कई रसद (लॉजिस्टिक्स) संबंधी चुनौतियाँ हैं। प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक आर्थिक विनियामक के रूप में ऐरा हमेशा हवाईअड्डा क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर हरित पहल का समर्थन करता रहा है।

6 ऐरा अधिनियम, 2008 और ऐरा के टैरिफ दिशानिर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, ऐरा भारत के प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। किसी हवाईअड्डे पर विमान को ईंधन की आपूर्ति करना ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2 (ए) (vi) के तहत 'वैमानिक सेवा' के रूप में वर्गीकृत है। ऐरा प्रमुख हवाईअड्डों पर विमान को ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ हवाईअड्डे के परिसर के भीतर सृजित बुनियादी अवसंरचना को ध्यान में रखकर ईंधन अवसंरचना प्रभार और इंटो-प्लेन सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारित करता है।

7 यह आवश्यक है कि प्रमुख हवाईअड्डों पर हवाई अड्डा प्रचालक भी प्रमुख हवाईअड्डों को जोड़ने वाली एटीएफ पाइपलाइनों के नेटवर्क के विकास के लिए पीएनजीआरबी के प्रयासों का समर्थन करें और संपूरक बनें, ताकि हवाईअड्डे के परिसर के भीतर साझा ईंधन भंडारण सुविधा के लिए एटीएफ की ऊपरी (अपस्ट्रीम) आपूर्ति का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

8 प्राधिकरण ने नोट किया है कि 'निर्बाध प्रवेश आधार' (ओपन एक्सेस बेसिस) पर साझा ईंधन फार्म सुविधाएं अधिकांश सार्वजनिक निजी भागीदारी/संयुक्त उद्यम/लीज़ वाले हवाईअड्डों पर पहले से ही चालू हैं या इन हवाई अड्डों पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों जैसे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(एनआईएल), जेवर, उत्तर प्रदेश और नवीं मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनएमआईएल), महाराष्ट्र में भी 'निर्बाध प्रवेश आधार' (ओपन एक्सेस बेसिस) पर साझा ईंधन फार्म सुविधा के विकास का प्रावधान है।

9 प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान में, एएआई और राज्य सरकार (शिरडी हवाई अड्डा) द्वारा प्रचालित मौजूदा प्रमुख हवाई अड्डों पर, प्रत्येक तेल विपणन कंपनी (एटीएफ आपूर्तिकर्ता) इन हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा हवाईअड्डा परिसर के भीतर आवंटित भूमि पर अपनी स्वयं की अलग एटीएफ भंडारण और विमान में ईंधन भरने की अवसंरचना (इंटो-प्लेन सेवाओं के लिए) स्थापित करती है। इस प्रकार पीएनजीआरबी द्वारा परिकल्पना किए अनुसार सामान्य वाहक एटीएफ पाइपलाइनों के लिए एंड-टू-एंड फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में कोई साझा ईंधन भंडारण सुविधा नहीं है, जैसा कि पीएनजीआरबी द्वारा योजना बनाई गई है। इस प्रकार एएआई/राज्य सरकार द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों पर साझा ईंधन भंडारण टैंक न होने से इन हवाई अड्डों को साझा वाहक एटीएफ पाइपलाइन के नेटवर्क से जोड़ने के लिए पीएनजीआरबी योजना के कार्यान्वयन में रसद (लॉजिस्टिक्स) संबंधी चुनौतियां होंगी।

10 उपरोक्त के मद्देनजर, पीएनजीआरबी की प्रमुख हवाईअड्डों को जोड़ने वाली एटीएफ पाइपलाइनों के विकास से संबंधित योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालकों, जिनके पास सामान्य ईंधन भंडारण सुविधा नहीं है, को अपने हवाई अड्डों पर 'निर्बाध प्रवेश आधार'(ओपन एक्सेस बेसिस) पर सामान्य ईंधन भंडारण के बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जो भी तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, प्रमुख हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालक सामान्य एटीएफ भंडारण टैंकों (हवाईअड्डे के परिसर के भीतर) से विमान पार्किंग बे तक एटीएफ की डिलीवरी के लिए ईंधन हाइड्रेंट सिस्टम (एफएचएस) के विकास पर भी विचार करें।

हवाईअड्डों पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा सामान्य ईंधन भंडारण सुविधा और एफएचएस की स्थापना तथा सामान्य अवसंरचना को साझा करने से प्रचालनात्मक दक्षता, लागत अनुकूलन में सुधार होने की आशा है और इससे विमानों के लिए एटीएफ की आपूर्ति से संबंधित एयर-साइड सुरक्षा भी बढ़ेगी।

आदेश

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 के साथ पठित धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

क) एएआई और राज्य सरकार के हवाईअड्डों सहित सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को अपने हवाईअड्डों पर यदि ऐसी सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां 'निर्बाध प्रवेश के आधार' पर साझा ईंधन भंडारण सुविधा स्थापित की जाए, ताकि उसे पीएनजीआरबी की साझा वाहक एटीएफ पाइपलाइनों से जोड़ा जा सके।

ख) उपर्युक्त हवाईअड्डा प्रचालकों को साझा एटीएफ भंडारण सुविधा की स्थापना के अलावा, अपने हवाईअड्डों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता होने पर विमान पार्किंग स्थलों से साझा एटीएफ भंडारण सुविधा (हवाईअड्डा परिसर के भीतर) को जोड़ने के लिए ईंधन हाइड्रेंट प्रणाली (एफएचएस) के विकास पर भी विचार करना होगा।

ग)	उपर्युक्त सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को इस आदेश के जारी होने से 12 माह की अवधि के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने और एफएचएस के साथ या उसके बिना, जैसा भी मामला हो, सामान्य ईंधन भंडारण सुविधा स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

1) अध्यक्ष, भारतीय विमानन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003
2) अध्यक्ष, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवपमेंट कंपनी (एमएडीसी) मुम्बई
3) प्रबंधक निदेशक, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल), कोचीन हवाईअड्डा, एर्णाकुलम, केरल

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) अध्यक्ष पीएनआरजीबी को दिनांक 13.02.2025 के पत्र संख्या पीएनजीआरबी/आथो./3-पीपीपीएल (16)/2024 के संदर्भ में